कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा,
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम,
बागेश्वर – 263642 (उत्तराखण्ड)

फैक्स नं0/फोन नं0–05963–220011

ई–मेल : eecd.bageshwar@gmail.com

पत्रांक 1375 / वन भूमि / 32 दिनांक 29/07/ 2020

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर वन प्रभाग,
बागेश्वर।

विषय : कपकोट ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना के निर्माण (प्रस्ताव संख्या 42629/2019)।

महोदय,

उपरोक्त विषयक, वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा के कार्यालय पत्रांक 2456/12–10, अल्मोड़ा, दिनांक 23.01.2020 द्वारा कपकोट ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव संख्या 42629/2019 में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण करने के उपरान्त निराकरण आख्या निम्नानुसार आपके अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है :–

क्र0 सं0	आपत्तियॉं	निराकरण
01.	डिजिटल मैप एवं जीयोरेफरेन्स मैप किस संस्था के द्वारा दिया गया है, उस संस्था का नाम मानचित्र में अंकित नहीं है।	डिजिटल मैप एवं जीयोरेफरेन्स मैप प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा तैयार कर अपने कार्यालय पत्रांक 225/32–F–1 देहरादून, दिनांक 17.01.2018 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किये गये है। पत्रों की छायाप्रति संलग्न है।
02.	प्रस्तावित परियोजना का उद्‌गम स्थल आरक्षित वन क्षेत्र में दर्शित किया गया है। इस परियोजना से वहॉं पर विद्यमान वनस्पति Herb/Shurb में कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ेगा।	प्रस्तावित परियोजना के उद्‌गम स्थल पर आरक्षित वन क्षेत्र के वनस्पति पेड़ों का पातन नहीं किया जायेगा तथा परियोजना के क्रियान्वयन से वनस्पतियों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा का प्रमाण पत्र संलग्न है।
03.	हॉर्ड कॉपी के मुख्य पृष्ठ में प्रभावित क्षेत्रफल 1.052 है0 सूचित किया गया है, जबकि एस0आई0आर0 रिपोर्ट में यह क्षेत्रफल 0.71 है0 दर्शाया गया है, स्थिति स्पष्ट करें।	हॉर्ड कॉपी के मुख्य पृष्ठ में जो प्रभावित क्षेत्रफल 1.052 है0 सूचित किया गया है वह नाप भूमि सहित त्रुटि पूर्ण अंकित हो गया था, जिसे ठीक कर लिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत कुल 0.71 है0 भूमि सम्मिलित है।
04.	प्रेषित हॉर्ड कॉपी में प्रपत्र 2.19 स्पष्ट नहीं है तथा प्रपत्र में प्रयोक्ता एजेन्सी से सम्बन्धित अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।	प्रस्ताव के प्रपत्र सं0 2.19 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रस्तावित परियोजना में पाइप लाईन खुदान के पश्चात् मिट्‌टी को पुनः पाइप लाईन के ऊपर बिछा दिया जायेगा तथा अन्य कार्यो हेतु किये गये खुदान के पश्चात् मिट्‌टी को कार्यस्थल की भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार समतल कर दिया जायेगा, जिससे कि उस क्षेत्र की वनस्पति को कोई नुकसान न हो सके, का प्रमाण पत्र संलग्न है। प्रपत्र 2.19 में हस्ताक्षर कर दिये गये है, प्रति संलग्न है।

संलग्नक : 05 नग।

भवदीय,

(सी.पी.एस. गंगवार)
अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0 एवं दिनांक यथोपरि:–

प्रतिलिपि– कार्यालय, वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा को उनके उपरोक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता